खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय

मांग संख्या 45

खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय

(₹ करोड़)

	वास्तविक 2023-2024			बजट 2024-2025			संशोधित 2024-2025			बजट 2025-2026		
	राजस्व	पूंजी	जोड़	राजस्व	पूंजी	जोड़	राजस्व	पूंजी	जोड़	राजस्व	पूंजी	जोड़
कुल	2942.59	1.92	2944.51	4016.46	2.54	4019.00	3423.78	3.01	3426.79	5264.96	2.64	5267.60
वसूलियां	*-681.83*	*...*	-681.83	*-729.00*	*...*	*-729.00*	*-630.00*	*...*	*-630.00*	*-903.38*	*...*	*-903.38*
प्राप्तियां	*...*	*...*	*...*	*...*	*...*	*...*	*...*	*...*	*...*	*...*	*...*	*...*
निवल	**2260.76**	**1.92**	**2262.68**	**3287.46**	**2.54**	**3290.00**	**2793.78**	**3.01**	**2796.79**	**4361.58**	**2.64**	**4364.22**
क. वसूलियों को घटाने के बाद बजट आबंटन इस प्रकार है:												
केंद्र का व्यय												
केन्द्र का स्थापना व्यय												
1. सचिवालय	77.94	1.73	79.67	119.98	2.00	121.98	103.51	2.89	106.40	85.49	2.10	87.59
2. अंतरराष्ट्रीय सहयोग	...	...	...	0.50	...	0.50	0.51	...	0.51	0.30	...	0.30
3. वास्तविक वसूलियां (स्था.)	-0.04	...	-0.04	...	...	...	...	...	...	...	...	...
जोड़-केन्द्र का स्थापना व्यय	**77.90**	**1.73**	**79.63**	**120.48**	**2.00**	**122.48**	**104.02**	**2.89**	**106.91**	**85.79**	**2.10**	**87.89**
केन्द्रीय क्षेत्र की योजनाएं/परियोजनाएं												
4. प्रधान मंत्री किसान संपदा योजना												
4.01 कृषि अवसंरचना और विकास निधि को अंतरण	745.00	...	745.00	729.00	...	729.00	630.00	...	630.00	903.38	...	903.38
4.02 प्रधानमंत्री किसान संपदा योजना	666.21	...	666.21	729.00	...	729.00	630.00	...	630.00	903.38	...	903.38
4.03 घटाइए- कृषि अवसंरचना और विकास निधि से प्राप्त राशि को	-666.21	...	-666.21	-729.00	...	-729.00	-630.00	...	-630.00	-903.38	...	-903.38
निवल	*745.00*	*...*	*745.00*	*729.00*	*...*	*729.00*	*630.00*	*...*	*630.00*	*903.38*	*...*	*903.38*
5. खाद्य प्रसंस्करण उद्योग के लिए उत्पादन से जुड़ी प्रोत्साहन योजना	590.34	0.14	590.48	1443.98	0.04	1444.02	699.96	0.04	700.00	1199.96	0.04	1200.00
6. वास्तविक वसूलियां (सीएस)	-15.58	...	-15.58	...	...	...	...	...	...	...	...	...
जोड़-केन्द्रीय क्षेत्र की योजनाएं/परियोजनाएं	**1319.76**	**0.14**	**1319.90**	**2172.98**	**0.04**	**2173.02**	**1329.96**	**0.04**	**1330.00**	**2103.34**	**0.04**	**2103.38**
केंद्रीय क्षेत्र के अन्य व्यय												
स्वायत्त निकाय												
7. राष्ट्रीय खाद्य प्रौद्योगिकी उद्यमिता और प्रबंधन संस्थान (एनआईएफटीईएम) - कुंडली	51.00	...	51.00	65.00	...	65.00	67.55	...	67.55	74.07	...	74.07
8. राष्ट्रीय खाद्य प्रौद्योगिकी उद्यमिता और प्रबंधन संस्थान (एनआईएफटीईएम)-तंजावुर	33.31	...	33.31	50.00	...	50.00	92.33	...	92.33	98.88	...	98.88

(₹ करोड़)

	वास्तविक 2023-2024			बजट 2024-2025			संशोधित 2024-2025			बजट 2025-2026		
	राजस्व	पूंजी	जोड़	राजस्व	पूंजी	जोड़	राजस्व	पूंजी	जोड़	राजस्व	पूंजी	जोड़
जोड़-स्वायत्त निकाय	**84.31**	**...**	**84.31**	**115.00**	**...**	**115.00**	**159.88**	**...**	**159.88**	**172.95**	**...**	**172.95**
जोड़-केंद्रीय क्षेत्र के अन्य व्यय	**84.31**	**...**	**84.31**	**115.00**	**...**	**115.00**	**159.88**	**...**	**159.88**	**172.95**	**...**	**172.95**
राज्य/संघ राज्य क्षेत्रों को अन्तरण												
केंद्र प्रायोजित योजनाएं												
9. प्रधान मंत्री सूक्ष्म खाद्य प्रसंस्करण उद्यम के औपचारिकीकरण की (पी.एम. एफएमई) योजना	778.79	0.05	778.84	879.00	0.50	879.50	1199.92	0.08	1200.00	1999.50	0.50	2000.00
कुल जोड़	***2260.76***	***1.92***	***2262.68***	***3287.46***	***2.54***	***3290.00***	***2793.78***	***3.01***	***2796.79***	***4361.58***	***2.64***	***4364.22***
ख. विकास शीर्ष												
आर्थिक सेवाएं												
1. खाद्य भंडारण और माल गोदाम	1418.60	...	1418.60	2249.48	...	2249.48	1452.20	...	1452.20	2217.25	...	2217.25
2. सचिवालय- आर्थिक सेवाएं	77.90	...	77.90	119.98	...	119.98	103.51	...	103.51	85.49	...	85.49
3. खाद्य भंडारण और भंडारागार पर पूंजीगत परिव्यय	...	0.19	0.19	...	0.54	0.54	...	0.12	0.12	...	0.54	0.54
4. अन्य सामान्य आर्थिक सेवाओं पर पूंजीगत परिव्यय	...	1.73	1.73	...	2.00	2.00	...	2.89	2.89	...	2.10	2.10
जोड़-आर्थिक सेवाएं	**1496.50**	**1.92**	**1498.42**	**2369.46**	**2.54**	**2372.00**	**1555.71**	**3.01**	**1558.72**	**2302.74**	**2.64**	**2305.38**
अन्य												
5. पूर्वोत्तर क्षेत्र	...	...	...	165.00	...	165.00	183.00	...	183.00	290.34	...	290.34
6. राज्य सरकारों को सहायता अनुदान	758.62	...	758.62	741.00	...	741.00	1013.07	...	1013.07	1744.00	...	1744.00
7. संघ राज्य-क्षेत्र की सरकारों को सहायता अनुदान	5.64	...	5.64	12.00	...	12.00	42.00	...	42.00	24.50	...	24.50
जोड़-अन्य	**764.26**	**...**	**764.26**	**918.00**	**...**	**918.00**	**1238.07**	**...**	**1238.07**	**2058.84**	**...**	**2058.84**
कुल जोड़	**2260.76**	**1.92**	**2262.68**	**3287.46**	**2.54**	**3290.00**	**2793.78**	**3.01**	**2796.79**	**4361.58**	**2.64**	**4364.22**

1. **सचिवालय:** यह प्रावधान मंत्रालय के सचिवालय पर व्यय के लिए किया गया है।

2. **अंतरराष्ट्रीय सहयोग:** यह प्रावधान वाइन और वाइन (ओआईवी) के अंतरराष्ट्रीय संगठन में अंशदान के लिए है।

4. **प्रधान मंत्री किसान संपदा योजना:** यह प्रावधान प्रधानमंत्री किसान संपदा योजना की निम्नलिखित योजनाओं के वित्तपोषण के लिए किया गया है:

(क)मेगा फूड पार्क योजना (80.40 करोड़ रुपये),

(ख) एग्रो-प्रोसेसिंग क्लस्टर के लिए बुनियादी ढांचा योजना (55.90 करोड़ रुपये),

(ग) एकीकृत कोल्ड चेन और वैल्यू एडिशन इंफ्रास्ट्रक्चर योजना (171.63 करोड़ रुपये),

(घ) खाद्य प्रसंस्करण और परिरक्षण क्षमताओं के सृजन/विस्तार के लिए योजना (347.28 करोड़ रुपये),

(ङ) बैकवर्ड और फॉरवर्ड लिंकेज के निर्माण के लिए योजना (11.10 करोड़ रुपये),

(च) फूड सेफ्टी और क्वालिटी एश्योरेंस इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए योजना (55.91 करोड़ रुपये),

(छ) मानव संसाधन और संस्थानों के लिए योजना (3.60 करोड़ रुपये),

(ज) ऑपरेशन ग्रीन योजना (177.36 करोड़ रुपये) और

(झ) स्वच्छता कार्य योजना (0.20 करोड़ रुपये)

5. **खाद्य प्रसंस्करण उद्योग के लिए उत्पादन से जुड़ी प्रोत्साहन योजना:** पीएलआई योजना को भारत की विनिर्माण क्षमताओं के संवर्धन और संवर्धित निर्यात के लिए तैयार किया गया है। इसका मुख्य उद्देश्य वैश्विक खाद्य विनिर्माण चैम्पियन को तैयार करने के लिए सहायता; अंतरराष्ट्रीय बाजारों में खाद्य उत्पादों के भारतीय ब्रांड की सहायता; ऑफ-फार्म के रोजगार अवसर बढ़ाने और कृषि उत्पाद के लिए पारिश्रमिक मूल्य तथा किसानों के लिए अधिक आय सुनिश्चित करना है।

7. **राष्ट्रीय खाद्य प्रौद्योगिकी उद्यमिता और प्रबंधन संस्थान (एनआईएफटीईएम) - कुंडली:** राष्ट्रीय खाद्य प्रौद्योगिकी, उद्यमशीलता एवं प्रबंधन संस्थान (एनआईएफटीईएम) का नाम बदल कर एनआईएफटीईएम - कुंडली कर दिया गया है । यह प्रावधान आवर्ती व्यय को पूरा करने के लिए सहायता अनुदान है।

8. **राष्ट्रीय खाद्य प्रौद्योगिकी उद्यमिता और प्रबंधन संस्थान (एनआईएफटीईएम)-तंजावुर:** (1) संसद ने दिनांक 26.07.2021 को एनआईएफटीईएम अधिनियम, 2021 पारित किया, जिसके प्रवृत्त होने के बाद आईआईएफपीटी संस्थान, तंजावुर का नाम बदल कर एनआईएफटीईएम - तंजावुर कर दिया गया है। यह प्रावधान आवर्ती व्यय को पूरा करने के लिए अनुदान सहायता प्रदान करने हेतु किया गया है। (2) एनआईएफटीईएम, तंजावुर के विस्तार के लिए केन्द्रीय क्षेत्र परियोजनाओं के अंतर्गत सहायता हेतु पृथक लेखा शीर्ष खोला गया है।

9. **प्रधान मंत्री सूक्ष्म खाद्य प्रसंस्करण उद्यम के औपचारिकीकरण की (पी.एम. एफएमई) योजना:** यह प्रावधान 'आत्म निर्भर भारत पैकेज के तहत 2020 में केन्द्र प्रायोजित योजना के रूप में आरंभ की गई स्कीम के लिए है, जो पांच वर्षों की अवधि में 2 लाख सूक्ष्म खाद्य प्रसंस्करण इकाइयों को लाभान्वित करने और पांच साल की अवधि में क्षेत्र की औपचारिकता को बढ़ावा देने के लिए है।